

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA



दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-25022022-233727
SG-DL-E-25022022-233727

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 24, 2022/फाल्गुन 5, 1943	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 473
No. 4]	DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 24, 2022/PHALGUNA 5, 1943	[N. C. T. D. No. 473

भाग II—I
PART II—I

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

अधिसूचना

दिल्ली, 24 फरवरी, 2022

सं. 14/नियम/डीएचसी.—

पेटेंट वादों को विनियमित करने वाले दिल्ली उच्च न्यायालय नियम, 2022

प्रस्तावना

दिल्ली उच्च न्यायालय अधिनियम, 1966 की धारा 7 सह-पठित पेटेंट अधिनियम, 1970 एवं अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 के प्रावधानों के अंतर्गत उच्च न्यायालय को प्रदत्त शक्तियों द्वारा निम्न नियम विरचित किये जाते हैं।

पृष्ठभूमि

पेटेंट वादों को विनियमित करने वाले सारभूत प्रावधान पेटेंट अधिनियम, 1970 में अंतर्विष्ट हैं। प्रवृत्ति में दीवानी होने के चलते पेटेंट वाद, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 द्वारा जैसा कि संशोधित है, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (सि.प्र.सं.) द्वारा भी विनियमित होते हैं।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने पिछले 10-15 वर्षों में अपने समक्ष विभिन्न वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकीय क्षेत्रों से सम्बंधित पेटेंट के वादों की संख्या में बहुत बढ़ोतरी देखा है। ऐसे पेटेंट वादों एवं कार्यवायियों में उतपन्न होने वाली जटिल समस्याओं के चलते वर्तमान नियमों की आवश्यकता महसूस की गई है। दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष ऐसे पेटेंट वादों के सहज, प्रभावी एवं दक्ष न्यायनिर्णयन के लिए प्रक्रिया एवं क्रियाविधि उपलब्ध कराना आवश्यक है।

दिल्ली उच्च न्यायालय अधिनियम, 1966 की धारा 7, सि.प्र.सं. की धारा 129 के अंतर्गत और पेटेंट अधिनियम के प्रावधानों के तहत भी दिल्ली उच्च न्यायालय अपने समक्ष दायर किये गए दीवानी वादों एवं पेटेंट वादों के प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए नियम बनाने हेतु सशक्त है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने पूर्व में ही दिल्ली उच्च न्यायालय (ओरिजिनल साइड) नियम, 2018 अधिसूचित कर दिया है जो ओरिजिनल साइड के समस्त वादों पर लागू होते हैं। इसके अतिरिक्त, वर्तमान नियम पेटेंट सम्बंधित कार्यवायियों के न्यायनिर्णयन हेतु प्रक्रियाओं को भी विनियमित करेंगे। ये नियम पेटेंट वादों एवं कार्यवायियों पर लागू होने वाले वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 द्वारा संशोधित सि.प्र.सं. एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के प्रावधानों के अतिरिक्त हैं और उनके अल्पीकरण में नहीं हैं।

समस्त पेटेंट वाद एवं कार्यवायियाँ दिल्ली उच्च न्यायालय के बौद्धिक सम्पदा खंड के समक्ष सूचीबद्ध की जायेंगी सिवाए उन मामलों के जो दिल्ली उच्च न्यायालय के किसी खंडपीठ द्वारा देखे जाने वाले हों।

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ

- (i) वर्तमान नियम 'पेटेंट वादों को विनियमित करने वाले दिल्ली उच्च न्यायालय नियम, 2022' कहलायेंगे।
- (ii) यह नियम उस तिथि से प्रवृत्त होंगे जिसे दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राजपत्र में अधिसूचित करेंगे और उन न्यायालयों पर लागू होंगे जो उच्च न्यायालय इस निमित्त अधिसूचित करेगा।

2. परिभाषाएं

इन नियमों के प्रयोजन हेतु, जब तक कि अन्यथा: विनिर्दिष्ट न हो, निम्न पदों के सन्दर्भ एवं अर्थ निम्न प्रकार होंगे:

- क. 'अधिनियम' से तात्पर्य पेटेंट अधिनियम, 1970 होगा।
- ख. 'पेटेंट वाद' से तात्पर्य अधिनियम की धारा 64, धारा 108, धारा 109 एवं धारा 114 के अंतर्गत प्रतिदावों एवं उनके अंतर्गत मांगे गए समस्त अनुतोष सहित अधिनियम की धारा 48, धारा 105 एवं धारा 106 के अंतर्गत प्राविधानित अनुतोष माँग रहे सभी वाद हैं।
- ग. 'दावा अर्थान्वयन पक्षसार' से तात्पर्य वो पक्षसार है जो भरोसा किये गए समस्त दावों की गणना करे, दावों में अंतर्विष्ट प्रत्येक शर्त के अर्थान्वयन, उनके अर्थ के साथ ही साथ भरोसा किये गए समस्त दावों के व्यापक विस्तार एवं प्रभाव का पक्षसार दायर करने वाले पक्ष के अनुसार विश्लेषण करे।
- घ. 'अविधिमान्यता पक्षसार'
 - (i) अविधिमान्यता पक्षसार में विवरण सहित पूर्व कला सन्दर्भ अंतर्विष्ट होगा, जैसे प्रकाशन तिथि, उद्गम/प्रकाशन का देश, सन्दर्भ संख्या एवं पूर्व कला(ओं) का विनिर्दिष्ट अंश जो कथित रूप से दावे को प्रत्याशित अथवा स्पष्ट बनाता हो।
 - (ii) यदि प्रतिवादी पेटेंट किये हुए उत्पाद/प्रसंस्करण के पूर्व प्रकाशन/पूर्व प्रयोग पर भरोसा करता है तो पक्षसार प्रयोग दिखलाते हुए प्रकाशन की तिथि, प्रकाशन के शीर्षक, उद्गम के देश, तथा/अथवा उत्पाद/प्रसंस्करण के स्रोत सहित विनिर्दिष्ट रूप से संदर्भित होगी जिसमें किसी निरीक्षण आख्या का सन्दर्भ भी सम्मिलित होगा।
 - (iii) अविधिमान्यता पक्षसार में निश्चायक विश्लेषण अंतर्विष्ट होगा कि पूर्व कलाएँ तथा/अथवा उनका संयोजन पेटेंट को कैसे नवीनता तथा/अथवा आविष्कारशील क्रम के अभाव के कारण अविधिमान्य बनाता है। यदि आविष्कारशील क्रम के अभाव का अभिवचन किया गया है तो पक्षसार स्पष्ट रूप से व्याख्या करेगा कि कला में निपुण व्यक्ति को आविष्कार कैसे स्पष्ट दिखाई देता है जैसे प्राथमिकता तिथि।

- (iv) यदि अधिनियम की धारा 3 अथवा धारा 4 में अंतर्विष्ट कारणों में से किसी के चलते अविधिमान्यता का अभिवचन किया गया हो जैसे पेटेंट नहीं होने योग्य तो पक्षसार में उसके कारण सहित उसकी व्याख्या दी जायेगी। अविधिमान्य पक्षसार भरोसा किये गए विधि निर्णय को भी उल्लिखित करेगा।
- (v) यदि अधिनियम की धारा 64(एच) तथा/अथवा 64(i) में अंतर्विष्ट कारणों पर अविधिमान्यता का अभिवचन आधारित हो तो पक्षसार, प्रत्येक दावा हेतु अपर्याप्तता की व्याख्या सहित विनिर्देशन के साथ, उन दावों को स्पष्ट रूप से इंगित करेगा जो प्रयास रूप से बताये नहीं गए हों, समर्थित नहीं हुए हों अथवा समर्थ नहीं बनाये गए हों।
- (vi) यदि अविधिमान्यता का अभिवचन अधिनियम में दिए गए अन्य कारणों में से किसी पर आधारित हो तो पक्षसार प्रावधान को एवं उसके आधार को सहज ढंग से विनिर्दिष्ट करेगा।
- (vii) यदि अविधिमान्यता का कोई कारण एकस्व, अभिकल्प एवं व्यापार चिन्ह महानियंत्रक के कार्यालय(आईपीओ) द्वारा देखा गया हो तो क्रमशः कारण के सामने उसे संदर्भित किया जाएगा।

च. 'अतिलंघन पक्षसार'

दावा अर्थान्वयन पक्षसार सहित वादी द्वारा पक्षसार दायर किया जाएगा जिसमें प्रत्येक दावे के तथ्यों की तुलना की जायेगी एवं उस ढंग को बताया जाएगा जिसमें प्रतिवादी का उत्पाद/प्रसंस्करण भरोसा किये गए दावों का अतिलंघन करता है। मानक आवश्यक पेटेंट (एसईपी) के मामले में, अतिलंघन पक्षसार में दावा संचित्र, मानकों से पेटेंट दावों का चित्रण, और ढंग जिसमें प्रतिवादी उनका अतिलंघन करता हो, अंतर्विष्ट होगा।

छ. 'अतिलंघन विहीन पक्षसार'

अतिलंघन विहीन दावा करने वाले पक्ष द्वारा अतिलंघन विहीन दिखाने के लिए पक्षसार दायर किया जाएगा जिसमें इसके उत्पाद/प्रसंस्करण सहित वाद पेटेंट दावों की तुलना की जायेगी। उन स्थितियों में जब प्रतिवादी गिल्लेट प्रतिरक्षा¹ कर रहा हो, एसईपी की स्थिति में भी, प्रतिवादी दिखायेगा कि क्या उसके उत्पाद मानकों का अनुपालन कर रहे हैं अथवा इसके द्वारा वैकल्पिक तकनीक/पेटेंट अपनाए जा रहे हैं। अतिलंघन विहीन के अभिवचन के समर्थन में, यदि वो ऐसा चयन करे, उक्त पक्षकार अपना दावा अर्थान्वयन पक्षसार अथवा दावा चित्रण दायर करने के लिए स्वतंत्र होगा।

ज. 'नुकसानी पक्षसार/लाभलेखा पक्षसार'

नुकसानी/लाभलेखा की माँग करने वाले पक्षकार द्वारा पक्षसार दायर किया जाएगा जिसमें दावा किये गए नुकसानी अथवा लाभलेखा के विस्तार का युक्तियुक्त आंकलन एवं उस सम्बन्ध में

पक्षकार द्वारा दस्तावेज़ी तथा/अथवा मौखिक किसी साक्ष्य सहित मूल आधार वाले तथ्य/ लेखा विवरण दिया जाएगा।

बशर्ते कि ऐसा पक्षसार प्रतिवादी द्वारा आगे किसी तथ्य के इन्केशाफ पर संशोधित किया जा सकेगा।

झ. 'सलाहकार' का तात्पर्य न्यायालय द्वारा इन नियमों के नियम 13 के अंतर्गत रखे गए एवं दिल्ली उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर समय समय पर अधिसूचित किया गया सलाहकारों का पैनल होगा।

त. 'तकनीकी प्राइमर' से तात्पर्य लिखित अथवा इलेक्ट्रॉनिक रूप में (पावर पॉइंट प्रस्तुति(यों)/श्रव्य/दृश्य फाइलों को सम्मिलित करते हुए) वह दस्तावेज़ हैं जो पेटेंट से सम्बंधित मौलिक विज्ञान तथा/अथवा तकनीक को प्राथमिक रूप से सरल भाषा में समझाए।

थ. 'प्राथमिकता पेटेंट अर्ज़ी' से तात्पर्य मूल अर्ज़ी, सम्मलेन² अर्ज़ी अथवा पेटेंट संधि अर्ज़ी है जिससे वाद पेटेंट प्राथमिकता का दावा करता हो।

¹ अतिलंघन के दावों की प्रतिरक्षा जिसके द्वारा प्रतिवादी यह सिद्ध करने योग्य होता है कि शिकायत की गई कृत केवल वही है जो किसी प्रकाशन में प्रकट की गई थी अथवा जिसपर किसी पेटेंट की विधिमान्यता के विरुद्ध भरोसा किया जा सकता है बिना किसी तात्कालिक अथवा पेटेंट योग्य बदलाव किये हुए। "Infringement not novel" (Gillette Defence) in Terrell on the Law of Patents (16th edn., § 8-75 at p. 340) देखें और Gillette Safety Razor Co. v. Anglo-American Trading Co. (1913) 30 R.P.C. 465 at 480 भी देखें।

² औद्योगिक सम्पदा के संरक्षण हेतु पेरिस संधि (1883) के अंतर्गत दायर की गई अर्ज़ी

3. अभिवचन के अंतर्वस्तु

क. वादपत्र

किसी अतिलंघन की कार्यवायी में वादपत्र में, यथासंभव, निम्न पहलू सम्मिलित होंगे:

- (i) तकनीक की संक्षिप्त पृष्ठभूमि, तकनीकी विवरण, वाद पेटेंट(ओं) का विवरण तथा वाद पेटेंट में आने वाले आविष्कार, वादी के उत्पाद अथवा प्रसंस्करण का विवरण, यदि कोई हो;
- (ii) पेटेंट(ओं) की मिलकियत का विवरण, अर्ज़ी की तिथि को सम्मिलित करते हुए भारत में प्रदानित पेटेंट(ओं) का विवरण;
- (iii) भारत में वाद पेटेंट अथवा प्राथमिकता पेटेंट अर्ज़ी से सम्बंधित अथवा उत्पन्न खंड अर्ज़ियों सहित दायर की गई, वापिस ली गई अथवा लंबित कोई अन्य पेटेंट अर्ज़ियाँ;
- (iv) आविष्कार के विश्वव्यापी संरक्षण के विवरण को सम्मिलित करते हुए अंतरराष्ट्रीय तद्विषयक अर्ज़ियों/पेटेंट(ओं) एवं उनके प्रदान का संक्षिप्त सार;
- (v) वाद पेटेंट(ओं) का संक्षिप्त अभियोजन इतिहास;
- (vi) वाद पेटेंट(ओं) को दी गई किसी चुनौती का विवरण एवं उसका परिणाम;
- (vii) वाद पेटेंट अथवा पेटेंट की विधिमान्यता को मानते हुए अथवा खारिज करते हुए किसी भारतीय अथवा अंतरराष्ट्रीय न्यायालय अथवा अधिकरण द्वारा पारित आदेशों, यदि कोई हों, का विवरण जो उसी आविष्कार अथवा प्रयासतः उसी के लिए हों;
- (viii) क्या पेटेंट(एं) भारत में प्रथम बार प्रवृत्त हो रहे हैं इसकी सूचना;
- (ix) यथावत दावे बनाम उत्पाद (अथवा प्रसंस्करण) संचित्र चित्रण अथवा एसईपी की स्थिति में मानक द्वारा दावा संचित्र चित्रण;
- (x) विनिर्देशन में प्रदानित दावों के सन्दर्भ में व्याख्या किये हुए अतिलंघन विश्लेषण। कथित रूप से अतिलंघन करने वाले उत्पाद अथवा प्रसंस्करण का विवरण, प्रतिवादी के प्रसंस्करण के विवरण, यदि उपलब्ध हो, को सम्मिलित करते हुए वो ढंग जिसमें अतिलंघन किए जाने का आरोप लगाया जा रहा है;
- (xi) वाद पेटेंट के लिए प्रदानित अनुज्ञप्तियों का विवरण अथवा, यथासंभव, वादी का सुसंगत पोर्टफोलियो;
- (xii) वाद पेटेंट(ओं) अथवा सुसंगत पोर्टफोलियो से सम्बंधित पक्षगण के बीच में हुए सुसंगत पत्र व्यवहार का सार;
- (xiii) विशेषज्ञों की प्रारम्भिक सूची, यदि कोई हो;
- (xiv) पेटेंट धारक द्वारा विक्रय का विवरण तथा/अथवा वाद पेटेंट(ओं) के लिए प्राप्त स्वामिस्य का विवरण अथवा पोर्टफोलियो, जहाँ भी संभव हो एवं वादी द्वारा भरोसा किया गया हो;
- (xv) वादी द्वारा मांगे गए उपचार/अनुतोष एवं नुकसानी का प्रमात्रीकरण (लाभ की हानि तथा/अथवा वादि द्वारा उठाये गए स्वामिस्य के चलते आंकलित हानि पर आधारित हो सकता है), ब्याज एवं लागत।

ख. लिखित कथन

किसी अतिलंघन कार्यवायी के लिखित कथन में, यथासंभव, निम्न पहलू सम्मिलित होंगे:-

- (i) अतिलंघन विहीन की प्रतिरक्षा तथा/अथवा वाद पेटेंट की अविधिमान्यता के कारणों, यदि कोई हों, का अभिवचन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, यदि वाद पेटेंट के प्रतिसंहरण की माँग की जा रही हो तो एक पृथक प्रतिदावा दायर किया जाएगा;

- (ii) अतिलंघन विहीन का समर्थन करते हुए लिखित कथन में वादी के दावा संचित्र का उत्तर अंतर्विष्ट होगा और तकनीकी विश्लेषण भी। इसके साथ तकनीकी आख्या लगाई जा सकती है;
- (iii) लिखित कथन में व्यादेश एवं नुकसानी नहीं प्रदान करने के लिए अन्य प्रतिरक्षाएं की जा सकती हैं;
- (iv) पूर्व-प्रदान विरोध/प्रदान-पश्चात विरोध के स्तर पर वाद पेटेंट को की गई किसी चुनौती का विवरण अथवा प्रतिसंहरण द्वारा;
- (v) यदि प्रतिवादी अनुज्ञप्ति लेने का इच्छुक हो तो स्वमिस्य की मात्र भी विनिर्दिष्ट की जायेगी। यह अतिलंघन विहीन एवं अविधिमान्यता के मुद्दों पर प्रतिवादी के पक्ष पर प्रतिकूल रूप से कोई प्रभाव नहीं डालेगा;
- (vi) यदि प्रतिवादी अतिलंघन विहीन का मामला उठाता है तो प्रतिवादी द्वारा प्रयोग किये जा रहे उत्पाद/प्रसंस्करण/ प्रौद्योगिकी भी विनिर्दिष्ट किये जायेंगे। तथापि, अतिलंघन सिद्ध करने का भार अधिनियम की धारा 104ए के सन्दर्भ में होगा;
- (vii) लिखित कथन में कथित रूप से अतिलंघन करने वाले उत्पाद का निश्चित वर्णन एवं विवरण भी अंतर्विष्ट होगा एवं कथित रूप से अतिलंघन करने वाले उत्पादों के राजस्व की मात्रा के सन्दर्भ में उत्पादन, विक्रय, आयात, निर्यात का विवरण अथवा कथित रूप से अतिलंघन करने वाले प्रसंस्करण से बनाए गए उत्पाद का विवरण होगा;
- (viii) वाद पेटेंट अथवा सुसंगत पोर्टफोलियो से सम्बंधित किसी सुसंगत पत्र व्यवहार का विवरण;
- (ix) उस उत्पाद के लिए जिसके अतिलंघन का आरोप लगाया गया है विनियमक अनुमोदन की माँग के लिए उठाये गए किसी कदम का विवरण एवं उसकी स्थिति;
- (x) प्रतिवादी, इसके समूह कंपनियों, सम्बन्ध द्वारा कथित रूप से अतिलंघन करने वाले उत्पाद/प्रसंस्करण से सम्बंधित भारत अथवा अंतरराष्ट्रीय रूप में दायर की गई किसी अर्जी का विवरण;
- (xi) भुगतान किये गए अथवा प्राप्त किये गए स्वामिस्य को सम्मिलित करते हुए कथित रूप से अतिलंघन करने वाले उत्पाद से सम्बंधित प्रतिवादी, इसके समूह कंपनियों, सम्बन्ध, आदि द्वारा ली गई अनुज्ञप्तियों एवं प्रतिअनुज्ञप्तियों का विवरण।

ग. प्रतिदावा

अधिनियम की धारा 64 के अंतर्गत उठाये गए कारण को लेकर प्रतिदावा यथावत होगा। नवीन अथवा आविष्कारी कदम के अभाव के कारण का समर्थन में सुसंगत पूर्ण कला दस्तावेज़ात द्वारा किया जाएगा। उक्त दस्तावेज़ात प्रतिदावा में सूचित किये जायेंगे एवं भरोसा किये गए विनिर्दिष्ट उद्धरण संदर्भित होंगे। समस्त पूर्व कलाएं एवं साहित्य प्रतिदावा के साथ संलग्न होंगे। पूर्व कला दस्तावेज़ात को यथावत होना है एवं प्रतिदावे में एक संचित्र अंतर्विष्ट होगा जो ये इंगित करेगा कि कौनसे विनिर्दिष्ट दावे किस पूर्व कला अथवा उसके संयोजन से टकराते हैं।

यदि अतिलंघन विहीन के कारणवश अनुतोष माँगते हुए कोई प्रतिदावा दायर किया जाए तो अधिनियम की धारा 105 के अंतर्गत वाद की आवश्यकताएं पूरी की जायेंगी।

घ. प्रत्युत्तर

दायर किया जाने वाला प्रत्युत्तर संक्षिप्त: वादी एवं प्रतिवादी के मामलों का सार प्रस्तुत करेगा। तत्पश्चात, ये लिखित कथन का उत्तर पैरावार देगा। यदि पेटेंट के अभियोजन के दौरान अथवा विरोध कार्यवाहियों के दौरान वाद पेटेंट की अविधिमान्यता पर आरोप लगाते हुए प्रतिवादी द्वारा उद्धर्णित पूर्व कलाओं में से किसी पर विचार किया गया हो तो प्रत्युत्तर में उसका विवरण दिया जाएगा।

च. प्रतिदावा का लिखित कथन एवं प्रतिदावे में प्रत्युत्तर, जहाँ तक लागू हो सके, उपरोक्त खंड ख अथवा खंड ग में दिए गए समान प्रतिरूप का अनुसरण करेंगे।

छ. अतिलंघन विहीन की घोषणा की माँग करते हुए अधिनियम की धारा 105 के अंतर्गत किसी वाद में, वादी दावे के विस्तार, प्रतिवादी द्वारा प्रयोग किये जा रहे उत्पाद/प्रसंस्करण जिनमें अतिलंघन विहीन होने का दावा हो एवं तकनीकी/विधिक आधार जिसपर घोषणा की माँग की जा रही हो को विनिर्दिष्ट करेगा। ऐसे मामले में तकनीकी आख्या सहित वाद के साथ दावा अर्थान्वयन पक्षसार एवं अतिलंघन विहीन पक्षसार भी लगेगा। वादी उसी आविष्कार अथवा पर्याप्ततः उसी विषय में वादी के विरुद्ध पेटेंट धारक द्वारा दायर की गई किसी कार्यवाही(ओं) का विवरण भी देगा।

ज. निराधार धमकियों के विरुद्ध व्यादेश के लिए अधिनियम की धारा 106 के अंतर्गत किसी वाद के वादपत्र में निम्न अंतर्विष्ट होंगे:-

(i) धमकी की प्रवृत्ति, चाहे मौखिक हो या दस्तावेज़ी;

(ii) यदि धमकी ऐसे पेटेंट से सम्बंधित है जो प्रदान कर दी गई है एवं यदि इसकी विधिमान्यता को चुनौती दी जा रही है तो वादपत्र के साथ अविधिमान्यता पक्षसार भी लगेगा;

(iii) पक्षगण के बीच हुआ कोई पत्र व्यवहार।

झ. पेटेंट के प्रतिसंहरण की माँग करती हुई अधियम की धारा 64 के अंतर्गत मूल अर्जियाँ यथावश्यक परिवर्तन सहित प्रतिसंहरण माँगते हुए प्रतिदावा के समान प्रतिरूप का अनुसरण करेंगी।

4. दायर किये जाने वाले दस्तावेज़ात

क. वादपत्र के साथ दायर किये जाने वाले दस्तावेज़ात

वादपत्र के साथ दायर किये जाने वाले दस्तावेज़ात में, अन्य के साथ, निम्न सम्मिलित होंगे:-

(i) उनकी वार्षिकियों के भुगतान सहित पेटेंट के प्रदान के प्रमाणपत्र की प्रमाणित प्रतियाँ। यदि प्रमाणित प्रतियाँ सहजता पूर्वक उपलब्ध नहीं हों तो प्रथम मुकद्दमा प्रबंधन सुनवाई से पूर्व उन्हें देने का वचनपत्र वादपत्र के साथ दायर किया जायेगा;

(ii) शीर्षक एवं आविष्कार के विवरण, दावों, उद्धरण एवं रेखाचित्र जैसा कि प्रदानित हों को सम्मिलित करते हुए सम्पूर्ण पेटेंट विनिर्देशण;

(iii) बड़ी अधिकारिताओं जैसे यूरोपियन संघ, अमेरिका, यू.के., जापान, कनाडा में समस्त तद्विषयक पेटेंट अर्जियों/पेटेंटों, यदि कोई हों, की सूची उनकी वर्तमान स्थिति के साथ सारणीबद्ध रूप में। उक्त सारणी के लिए एक मानक खाका निम्न में दिया जा रहा है। किसी अन्य अधिकारिता में यदि पेटेंट अधिकरण/न्यायालय द्वारा कोई विनिश्चय दिया गया हो तो उसी सारणी में उसका लिंक भी उपलब्ध कराया जाएगा:-

भारतीय अर्जी सं.	पेटेंट अर्जी	तद्विषयक पे.स.सं.	प्राथमिकता तिथि	अंतिम विनिर्देशन दायर करने की तिथि	बड़ी अधिकारिताओं में अंतिम विनिर्देशन दायर करने की तिथि			
					क्र.सं.	देश	पेटेंट अर्जी/प्रदान सं.	स्थिति(लंबित/विरोध हुआ/प्रदानित/खारिज (यदि विरोध हुआ हो तो विरोधकर्ता का नाम)

(iv) भारत में खंड अर्जियाँ, योग के पेटेंटों को सम्मिलित करते हुए वाद पेटेंट के पेटेंट अर्जियों/ पेटेंटों से सम्बंधित विवरण उनकी वर्तमान स्थिति सहित सारणीबद्ध प्ररूप में दिया जाएगा;

(v) पेटेंट किये हुए आविष्कार एवं कथित अतिलंघन का सार टिप्पण अथवा प्रतिपत्ना 2 स्लाइडों के साथ छपे पावर पॉइंट प्रस्तुति के रूप में संलग्न किया जाएगा;

- (vi) अतिलंघन विश्लेषण के लिए वादी द्वारा भरोसा किये गए विशेषज्ञ आख्या, यदि कोई हो;
- (vii) समस्त पत्र व्यवहार की प्रतियाँ;
- (viii) अनुज्ञप्ति करारों पर भरोसा किये जाने की स्थिति में, अनुज्ञप्ति करारों की प्रतियाँ संशोधित अथवा अन्यथः;
- (ix) अनुज्ञप्ति शुल्क हेतु, यदि दावा माँगा गया हो, न्यायोचित्व पर टिप्पण;
- (x) प्रयोगशाला विश्लेषण आख्या, यदि कोई।

ख. लिखित कथन/प्रतिदावा के साथ दायर किये जाने वाले दस्तावेज़ात

लिखित कथन/प्रतिदावा के साथ दायर किये जाने वाले दस्तावेज़ों में, यथासंभव, अन्य के साथ निम्न शामिल होंगे:-

- (i) किसी भी अधिकारिता में तद्विषयक पेटेंट अर्ज़ी अथवा वाद पेटेंट से सम्बंधित किसी न्यायालय अथवा किसी पेटेंट अधिकरण द्वारा किसी विनिश्चयों की प्रतियाँ;
- (ii) भरोसा किये गए विशेषज्ञ आख्या/तकनीकी आख्या;
- (iii) अतिलंघन विहीन अथवा अविधिमान्यता हेतु विश्लेषण;
- (iv) प्रसंस्करण पेटेंट के मामले में, अविधिमान्यता से सम्बंधित विश्लेषण नवीनता अथवा आविष्कारी कदम के अभाव हेतु भरोसा किये जा रहे पूर्व कला सन्दर्भों को भी सम्मिलित करेगा;
- (v) प्राप्त की गई कोई अनुज्ञप्तियाँ एवं उनकी प्रतियाँ संशोधित अथवा अन्यथः;
- (vi) भरोसा किये गए पूर्व कला दस्तावेज़ात की स्पष्ट प्रतियाँ। यदि वो व्याख्याएँ अथवा तकनीकी पत्रिका अथवा पुस्तकें हों तो लेखक, शीर्षक, प्रकाशन का वर्ष दर्शाता हुआ आवरण पृष्ठ एवं सुसंगत उद्धरण भी दायर किया जाएगा। पूर्व कला दस्तावेज़ात के इन्टरनेट प्रिंट आउट की स्थिति में, आवरण पृष्ठ पर उस विशिष्ट लिंक को उल्लिखित किया जाएगा जहाँ से दस्तावेज़ डाउनलोड किया गया हो यदि वो प्रिंट आउट की तिथि सहित दस्तावेज़ के हाशिया पर प्रतीत न हो रहा हो;
- (vii) भेषजी पेटेंटों के मामलों में, पूर्व कला दस्तावेज़ात में वो विनिर्दिष्ट सूत्र/अणु/संयोजन जो वाद पेटेंट में नवीनता अथवा आविष्कारी कदम को समाप्त करने की माँग कर रहे हों उजाग्रित किये जाएँ;
- (viii) प्रयोगशाला विश्लेषण आख्याएँ यदि कोई हों;
- (ix) कथित रूप से अतिलंघन करने वाले उत्पाद(ओं) अथवा कथित रूप से अतिलंघन करने वाले संस्करण से प्रयाप्त उत्पाद(ओं) की मात्रा एवं विक्रय का लेखा विवरण;
- (x) अधिनियम की धारा 64 के अंतर्गत प्रत्येक कारण हेतु भरोसा किये गए दस्तावेज़ात, जैसा कि अपेक्षित हो।

ग. किसी पक्षकार द्वारा दायर किये जाने वाले कोई अन्य दस्तावेज़ात

- (i) पक्षकारों के कब्ज़ा में कोई अन्य दस्तावेज़ात एवं अतिलंघन के मुद्दे से तात्त्विक रूप से सम्बंधित दायर किये जायेंगे;
- (ii) अनुज्ञप्तियों, स्वामिस्य, उ.यु.अभे. क्रीमत निर्धारण के विवरण (सील बंद लिफ़ाफ़े में) दायर किये जायेंगे।

5. वाद की पहली सुनवाई

- (i) पहली सुनवाई में, पेटेंट धारक निरीक्षण, आदि हेतु स्थानीय आयुक्त की नियुक्ति के साथ साथ अंतरिम व्यादेश की माँग कर सकता है। यदि स्थानीय आयुक्त की नियुक्ति की प्रार्थना की जा रही है तो जिस विनिर्दिष्ट परिसर में उत्पाद किया जा रहा हो अथवा प्रसंस्करण लागू किया जा रहा हो अधिनिश्चित किया जाएगा एवं अर्ज़ी में उसका उल्लेख किया जाएगा।
- (ii) किसी अंतरिम आदेश के अतिरिक्त, जो पहली सुनवाई में न्यायालय पारित करे, उत्पादन सुविधाओं के निरीक्षण का निदेश भी दिया जा सकता है।

- (iii) स्थानीय आयुक्त को सहायता प्रदान करने हेतु उभयपक्षों से तकनीकी विशेषज्ञों को कमीशन के निष्पादन के समय उपस्थित रहने की अनुमति दी जा सकती है। किसी भी पक्षकार द्वारा उठाये गए गोपनीयता के मुद्दों को आगे के आदेश हेतु सीलबंद लिफाफे में न्यायालय के समक्ष दायर करके स्थानीय आयुक्त कमीशन के निष्पादन के समय देखेगा।
- (iv) यदि प्रतिवादी केवियेट प्राप्त है, दो कार्यदिवस का नोटिस प्राप्त करने पर पहली सुनवाई पर किसी अंतरिम अनुतोष प्रदान किये जाने का विरोध करने पर अपने द्वारा भरोसा किये जा रहे दस्तावेज़ात के साथ प्रतिवादी तैयार रहेगा।
- (v) अतिलंघन के प्रथमदृष्टिय स्थापित होने पर न्यायालय विशेष परिस्थितियों में जिन अनुबंध और शर्तों को उचित समझे उनमें व्यायदेश के बजाय आर्थिक भुगतान हेतु निदेश दे सकता है।
- (vi) अंतरिम व्यायदेश प्रदान करने के मामले में जिन शर्तों को मुनासिब समझे उनपर न्यायालय लागतों अथवा प्रतिभू के प्रति वचन देने का निदेश दे सकता है उस स्थिति में जब वो विचारण हार जाए अथवा पेटेंट अविधिमान्य घोषित हो।

6. पक्षगण का ज्ञापन/प्रतिवादी की तामील

मुख्य प्रतिवादी का नाम जिसके विरुद्ध अनुतोष माँगा जा रहा हो पक्षगण के ज्ञापन में प्रतिवादी संख्या 1 के रूप में पक्षकार बनाया जाएगा। जब एकपक्षीय अनुतोष की माँग की जा रही हो, प्रतिवादीगण पर तामील अनिवार्य नहीं है। तथापि यदि वादी ऐसा विकल्प ले तो ईमेल द्वारा दो कार्यदिवस की अग्रिम तामील प्रथम सुनवाई हेतु प्रयास तामील विचार की जायेगी, विशेष रूप से उन प्रतिवादीगण के लिए जो भारत में स्थित हों। यदि प्रतिवादी ने केवियेट दायर किया हो तो मामले के प्रथम बार सूचीबद्ध होने से पूर्व केवियेट पर उपलब्ध पता पर कम से कम दो कार्यदिवस हेतु ईमेल से तामील की जायेगी।

7. स्वीकृती/प्रत्याख्यान शपथपत्रों एवं अन्य पक्षसारों का दायर किया जाना

- (i) पेटेंट अतिलंघन वादों में, पेटेंट रजिस्टर प्रदान प्रमाणपत्रों, उद्धरणों एवं रेखाचित्रों सहित प्रदानित पेटेंट विनिर्देशन से लिए गए उद्धरणों की प्रमाणित प्रतियों एवं सार्वजनिक रूप से उपलब्ध उद्धर्णित पूर्व कला दस्तावेज़ों का साधारणतः प्रत्याख्यान नहीं किया जाएगा।
- (ii) पक्षकारगण के क्रमशः अभिवचनों के साथ स्वीकृती/प्रत्याख्यान के शपथपत्र लगाए जायेंगे जैसा कि वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 में प्रावधान दिया गया है।
- (iii) पक्षगण के बीच हुए पत्र व्यवहार एवं अन्य दस्तावेज़ों के सम्बन्ध में स्वीकृति/प्रत्याख्यान के शपथपत्र दायर किये जायेंगे।
- (iv) कोई व्यक्ति जो अनुचित रूप से किसी दस्तावेज़ का प्रत्याख्यान कर रहा हो लागतों के अधिरोपित किये जाने का भागीदार होगा।
- (v) प्रथम मुकद्दमा प्रबंधन सुनवाई से पूर्व स्वीकृती/प्रत्याख्यान पूर्ण होने पर उभयपक्षगण क्रमशः अपने दावा अर्थान्वयन पक्षसार, अविधिमान्यता पक्षसार एवं अतिलंघन पक्षसार दायर करेंगे। प्रत्येक उक्त पक्षसार साधारणतः 10 पत्रों से अधिक नहीं होगा एवं उसमें दावों के अर्थान्वयन, पेटेंट के अविधिमान्यता एवं अतिलंघन पर मुकद्दमों का संक्षिप्त विवरण अंतर्विष्ट होगा। यदि किसी वाद में कई पेटेंट शामिल हों अथवा किसी अन्य युक्तियुक्त कारणवश ऐसा हो तो लम्बे पक्षसार दायर करने की अनुमति न्यायालय से प्राप्त की जा सकती है। तात्विक कारणवश उक्त अर्थान्वयन, अविधिमान्यता एवं अतिलंघन पक्षसारों में संशोधन हेतु साक्ष्य प्रारम्भ होने से पूर्व अनुमति मांगी जा सकती है।
- (vi) अभिवचनों के समापन पर प्रथम मुकद्दमा प्रबंधन सुनवाई से पूर्व वादी नुकसानी/लाभ लेखा पक्षसार भी दायर कर सकेगा।
- (vii) पक्षगण द्वारा दायर किये गए दावा अर्थान्वयन पक्षसार, अविधिमान्यता पक्षसार, अतिलंघन पक्षसार, अतिलंघन विहीन पक्षसार, आदि अभिवचन नहीं समझे जाएंगे। इन पक्षसारों के अंतर्वस्तु भी अभिवचनों से बाहर नहीं होंगे। अतिलंघन विहीन पक्षसार दायर करने से भार बदल नहीं जाएगा जैसा कि अधिनियम में विहित है।

- (viii) तकनीकी प्राथमिकी: प्रथम मुकद्दमा सुनवाई से पूर्व पक्षगण द्वारा संयुक्त रूप से तकनीकी प्राथमिकी दायर करने का निदेश न्यायालय दे सकता है ताकि पेटेंट(ओं) से सम्बंधित मूल विज्ञान/प्रौद्योगिकी समझा जा सके।

8. प्रथम मुकद्दमा प्रबंधन सुनवाई

- (i) न्यायालय अभिवचनों, दावा अर्थान्वयन पक्षसारों, अविधिमान्यता, अतिलंघन, एवं नुकसानी/लाभ लेखा पक्षसारों का अवलोकन करेगा एवं जहाँ पक्षगण के बीच कोई वास्तविक मुद्दे मौजूद हों, उन्हें चिन्हित करेगा। मुद्दों के निपटान के प्रयोजनों हेतु, न्यायालय द्वारा रखे गए सलाहकारों के पैनल में से न्यायालय स्वतंत्र तकनीकी विशेषज्ञ की सहायता भी ले सकता है एवं पक्षकारों के विशेषज्ञों को न्यायालय की सहायता के लिए बुला सकता है। न्यायालय मुद्दों को चिन्हित किये जाने से पूर्व भी हॉट-टबर्बिंग अपना सकता है।

बशर्ते कि न्यायालय किसी ऐसे मुद्दे को विनिश्चित करे जिसमें किसी स्तर पर साक्ष्य आपेक्षित न हो।

- (ii) फिर न्यायालय विशेषज्ञ साक्षीगण के नामों को सम्मिलित करते हुए जिनके साक्ष्य लेने हैं उन साक्षीगण की सूची दायर करने हेतु पक्षकारों को निदेशित करेगा।
- (iii) न्यायालय पक्षकारों द्वारा साक्ष्य में शपथपत्र भी दायर करने एवं किस क्रम में दायर करना है उसका भी निदेश देगा। तथ्यों के आधार पर न्यायालय ये भी निदेश देगा कि विचारण किस क्रम में किया जाए अर्थात् प्रथमतः अतिलंघन अथवा पेटेंट के अविधिमान्यता का विचारण हो, जैसा भी ये उचित समझे।
- (iv) वाद में विनिश्चय को शीघ्रता देने हेतु प्रारम्भिक मुद्दे के रूप में किसी एक अथवा अधिक मुद्दों पर साक्ष्य देने हेतु न्यायालय निदेश दे सकता है।

9. द्वितीय मुकद्दमा प्रबंधन सुनवाई

- (i) पक्षकारों द्वारा दायर किये गए साक्ष्य में दायर किये गए शपथपत्रों का न्यायालय अवलोकन करेगा एवं साक्षियों के प्रतिपरिक्षण का समय, स्थान एवं अवधि निर्धारित करेगा। न्यायालय स्वतः अथवा किसी पक्षकार या किसी साक्षी की अर्जी पर ये निदेश दे सकेगा कि साक्ष्य प्रवृत्त नियमों अनुसार विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अभिलिखित किया जाए।
- (ii) यदि पक्षगण साक्ष्य के लिप्याकरण हेतु अभिकरणों को रखने के इच्छुक हों तो इसके लिए उपयुक्त निदेश पारित किया जा सकता है। साक्ष्य के विडियो अभिलेखन का निदेश भी दिया जा सकता है। साक्ष्य अभिलेखन की समयबाध्यता न्यायालय द्वारा पर्यवेक्षित किया जाएगा। बाहरी साक्षियों के मामले में न्यायालय प्रतिपरिक्षण हेतु विनिर्दिष्ट समय सीमा निर्धारित करने का प्रयास करेगा।
- (iii) हॉट टबर्बिंग:- दिल्ली उच्च न्यायालय (ओरिजिनल साइड) नियम, 2018, अध्याय XI, नियम 6 द्वारा दिशानिर्देशित हॉट टबर्बिंग तकनीक द्वारा विशेषज्ञ साक्ष्य अभिलिखित किये जाने हेतु न्यायालय स्वतः अथवा किसी पक्षकार की अर्जी पर निदेश देगा।
- (iv) पक्षकारों की सहमती से अथवा यदि न्यायालय उचित समझे तो बाहरी स्थानों पर साक्ष्य अभिलिखित किये जाने का निदेश दिया जा सकता है। ऐसे साक्ष्य अभिलेखन हेतु वाद के इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को पक्षकारों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।
- (v) विचारण को शीघ्रता प्रदान करने के लिए स्थानीय आयुक्त द्वारा साक्ष्य अभिलेखन का निदेश दिया जायेगा।

10. तृतीय मुकद्दमा प्रबंधन सुनवाई

इस सुनवाई में न्यायालय अब तक अभिलिखित किये गए साक्ष्य का पुनरीक्षण करेगा एवं किसी प्रारंभिक मुद्दों को विनिश्चित करने हेतु आगे बढ़ेगा अथवा अन्य विकल्प के रूप में पक्षकारों को निदेशित करेगा कि वो शेष मुद्दों पर विचारण को आगे बढ़ाएं। समस्त निदेश जो द्वितीय मुकद्दमा प्रबंधन सुनवाई में पारित किये जा सकते हैं, न्यायालय द्वारा भी पारित किये जा सकते हैं।

11. गोपनीय क्लब एवं गोपनीय सूचना को पृथक करना

(i) किसी कार्यवाही में किसी भी चरण में दस्तावेज़ात को सम्मिलित करते हुए न्यायालय के समक्ष दायर की हुई किसी गोपनीय सूचना के परिरक्षण एवं आदान प्रदान हेतु दिल्ली उच्च न्यायालय (ओरिजिनल साइड) नियम, 2018 के अनुसार न्यायालय कोई उचित गोपनीय क्लब गठित कर सकता है अथवा अधिवक्तागण (बाहरी एवं आन्तरिक), विशेषज्ञगण एवं पक्षकारों के मनोनित प्रतिनिधिगण को सम्मिलित करते हुए जो उचित समझे वैसा उपाय अपना सकता है।

पक्षकारों के ऐसे क्लब में नियुक्त किये गए मनोनित प्रतिनिधिगण, अन्य के साथ साथ, ऐसे व्यक्ति होंगे जो क्रमशः पक्षकारों के दिन प्रतिदिन व्यवसाय कार्य एवं प्रबंधन से प्रभारी के रूप में अथवा सक्रीय रूप में जुड़े न हों ताकि इस प्रकार व्यक्त की गई सूचना की सत्यनिष्ठा बची रहे।

इस प्रकार क्लब में शामिल सदस्य कार्यवाहियों के दौरान उन्हें मिली अथवा पहुँची गोपनीय अथवा संवेदनशील सूचना को कहीं भी, तृतीय पक्षकारों को सम्मिलित करते हुए, ज़ाहिर करने, साझा करने अथवा उसका लाभ उठाने से बचने हेतु बाध्य होंगे।

(ii) अर्ज़ी द्वारा किये गए किसी अनुरोध पर न्यायालय (दस्तावेज़ात को सम्मिलित करते हुए) ऐसी सूचना को पृथक करने का निदेश दे सकता है जिसे ये गोपनीय समझे;

(iii) यदि किसी पृथक अभिवचन/दस्तावेज़ को गोपनीय रूप में दायर करने की माँग की जा रही हो तो उसका एक पृथकविहीन प्रति पृथक करने के दावे के समर्थन में एक अर्ज़ी सहित सील बंद लिफाफे में दायर की जायेगी।

12. मध्यस्थता/पूर्व तटस्थ मूल्यांकन (पू.त.मू.)

वाद के किसी चरण में यदि न्यायालय का विचार हो कि पक्षगण को मध्यस्थता का विकल्प देखना चाहिए तो विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए न्यायालय तकनीकी विशेषज्ञों सहित योग्य मध्यस्थ अथवा मध्यस्थगण के पैनल को नियुक्त करेगा। यदि न्यायालय का विचार हो कि सौहार्दपूर्ण हल ढूँढने की आवश्यकता है तो पक्षगण की सहमति अपेक्षित नहीं है। आगे न्यायालय द्वारा नियुक्त अध्यस्थ वैज्ञानिक विशेषज्ञ, आर्थिक विशेषज्ञ अथवा विधिक विशेषज्ञ हो सकता है जिसे तकनीकी विशेषज्ञों की सहायता प्राप्त हो। किसी चरण में न्यायालय योग्य एवं स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता को नियुक्त करते हुए पू.त.मू. का निदेश भी दे सकता है यदि इसका विचार हो कि ऐसा पू.त.मू. पूर्व हल में सहायक होगा। मध्यस्थता/पू.त.मू. कार्यवाहियाँ न्यायालय के समक्ष विधिक कार्यावाहियों के साथ साथ चलेगी ताकि न्यायनिर्णयन में विलंब न हो।

13. सलाहकारों का पैनल

दिल्ली उच्च न्यायालय पेटेंटवादों के विनिश्चयन में न्यायधीशगण की सहायता के लिए सलाहकारों का एक पैनल बनाएगा। ऐसे सलाहकारों में विज्ञान के विशेषज्ञ, अर्थशास्त्री, विद्याविद्, लेखा विशेषज्ञ, विषयकुशलता वाले योग्य पेटेंट एजेंट, बौ.सं.का. के अधिकारीगण, आदि शामिल होंगे। समय समय पर सूची का पुनरीक्षण किया जाएगा। अपनी नियुक्ति से पूर्व सलाहकार एक घोषणा पर हस्ताक्षर करेंगे कि उनका वाद/कार्यवाहियों में कोई हित विरोध नहीं है एवं वो न्यायालय को निष्पक्ष एवं न्यायसंगत होकर सहायता प्रदान करेंगे। न्यायालय को सहायता देने हेतु सलाहकारों को नियुक्त करते समय न्यायालय पक्षकारों के सुझाव ले सकता है। विशेषज्ञों को दिया जाने वाला प्रतिकर विशेषज्ञों की अर्हता, अनुभव, योग्यता एवं विषय विशेषज्ञता के अनुकूल होगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि यह पैनल दिल्ली उच्च न्यायालय बौद्धिक सम्पदा अधिकार खंड नियम, 2022 के अंतर्गत गठित विशेषज्ञों के पैनल से भिन्न होगा।

14. साक्ष्य का परिरक्षण

अभिलिखित किये गए साक्ष्य के कोई श्रव्य अथवा दृश्य अभिलेख मुकद्दमा के इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में परिरक्षित किये जायेंगे ऐसे ढंग में कि उनमें किसी प्रकार का कोई संशोधन अथवा छेड़-छाड़ नहीं किया जा सके।

15. अंतिम सुनवाई

अंतिम सुनवाई से पूर्व न्यायालय पक्षकारों को फाइलों के विनिर्दिष्ट पन्ना संख्या सहित अभिवचनों एवं साक्ष्य का सार प्रस्तुत करने का निर्देश देगा। अंतिम सुनवाई के दौरान न्यायालय को सहायता प्रदान करने के लिए प्रत्येक

ओर से गवाहों में से कम से कम एक तकनीकी व्यक्ति को न्यायालय उपस्थित रहने का निर्देश दे सकता है। मौखिक निवेदन करने के लिए न्यायालय समय सीमा निर्धारित करेगा।

16. पेटेंट मामलों में संक्षिप्त न्यायनिर्णयन

संक्षिप्त निर्णय हेतु वाणिज्यिक न्यायालय, अधिनियम 2015 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अतिरिक्त, निम्न श्रेणियों में से किसी में आने वाले मामलों में न्यायालय संक्षिप्त न्यायनिर्णयन पर विचार कर सकता है:-

- (i) जहाँ पेटेंट की शेष अवधि 5 वर्ष या उससे कम हो;
- (ii) पूर्व बौद्धिक सम्पदा अप्पेलेट बोर्ड, किसी उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उक्त पेटेंट के विधिमान्यता का प्रमाणपत्र पहले ही जारी कर दिया गया हो अथवा उसकी पुष्टि कर दी गई हो;
- (iii) यदि प्रतिवादी उसका अथवा सुसंगित पेटेंट का बार बार अतिलंघन करने वाला हो;
- (iv) यदि पेटेंट की विधिमान्यता स्वीकृत हो एवं केवल अतिलंघन का प्रतिसंहरण किया गया हो।

17. साधारण खंड

प्रक्रियाएं एवं परिभाषाएं जो विनिर्दिष्टयः इन नियमों में प्रावधानित नहीं हैं वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 द्वारा संशोधित सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908, दिल्ली उच्च न्यायालय (ओरिजिनल साइड) नियम, 2018 एवं दिल्ली उच्च बौद्धिक सम्पदा अधिकार खंड नियम, 2022 द्वारा नियंत्रित होंगे जबतक कि वो वर्तमान नियमों से असंगत न हों।

न्यायालय के आदेशानुसार,

मनोज जैन, महानिबंधक

HIGH COURT OF DELHI: NEW DELHI

NOTIFICATION

Delhi, the 24th February, 2022

No. 14/Rules/DHC.—

High Court Of Delhi Rules Governing Patent Suits, 2022

Introduction

By virtue of powers conferred on the High Court under Section 7 of the Delhi High Court Act, 1966 read with the provisions of the Patents Act, 1970 and the Tribunal Reforms Act, 2021, the following Rules are framed.

Background

The substantive provisions governing patent suits are contained in The Patents Act, 1970. Patent suits being civil in nature are also governed by The Code of Civil Procedure, 1908 (CPC) as amended by The Commercial Courts Act, 2015.

The Delhi High Court, in the last 10-15 years, has witnessed a high growth in the number of patent related litigations before it relating to various scientific and technological fields. The need for the present Rules has been felt due to the complex issues that arise in such patent suits and actions. There is a need to provide for procedures and mechanisms for simpler, effective and efficient adjudication of such patent litigations before the Delhi High Court.

The Delhi High Court, under Section 7 of the Delhi High Court Act, 1966, Section 129 of the CPC as also the provisions of the Patent Act, is empowered to make Rules governing procedures for civil suits and patents suits filed before it.

The Delhi High Court has already notified the Delhi High Court (Original Side) Rules, 2018, which apply to all original side suits. In addition, the present Rules shall also govern the procedure for adjudication of patent related actions. These Rules are in addition to, and not in derogation of, the provisions of the CPC as amended by the Commercial Courts Act, 2015, as also the Indian Evidence Act, 1872 as may be applicable to patent suits and actions.

All patent suits and actions shall be listed before the Intellectual Property Division of the Delhi High Court except those matters which are to be dealt with by a Division Bench of the Delhi High Court.

1. **Short title and commencement**

- (i) The present Rules shall be called ‘The High Court of Delhi Rules Governing Patent Suits, 2022’.
- (ii) The Rules shall come into force on such date as the Chief Justice of the Delhi High Court may notify in the Official Gazette and shall apply to such Courts as the High Court may notify in this behalf.

2. **Definitions**

For the purposes of these Rules, unless otherwise specified, references and meanings to the following terms are as follows:

- a. **‘Act’** shall mean The Patents Act, 1970.
- b. **‘Patent Suit’** means all suits which seek reliefs as provided for under Section 48, Section 105, and Section 106 of the Act including counter claims under Section 64, Section 108, Section 109, and Section 114 of the Act and all reliefs claimed thereunder.
- c. **‘Claim construction brief’** means a brief which would enumerate all the claims relied upon, break down the construction of each of the terms contained in the claims, their meaning thereof, also the overall scope and effect of all the claims relied upon, as per the party filing the brief.
- d. **‘Invalidity brief’**
 - (i) Invalidity brief shall contain the prior art references with details such as date of publication, country of origin/publication, reference number and the specific portion of the prior art(s) which allegedly anticipates or renders the claim obvious.
 - (ii) If the Defendant relies on prior publication/prior use of the patented product/process, the brief shall be specifically referenced along with the date of publication, title of publication, country of origin, and/or the source of the product/process to show use, including reference to any inspection reports.
 - (iii) Invalidity brief shall contain a conclusive analysis on how each of the prior arts and/or combination thereof seeks to render the patent invalid, due to lack of novelty and/or inventive step. If lack of inventive step is pleaded, the brief shall clearly explain how the invention would have been obvious to the person skilled in the art, as of the priority date.
 - (iv) If invalidity is pleaded on any of the grounds contained in Section 3 or Section 4 of the Act, as being non-patentable, an explanation for the same along with the reasoning thereof, shall be provided in the brief. The invalidity brief may also mention the case law relied upon.
 - (v) If invalidity is pleaded based on grounds contained in Section 64(h) and/or Section 64(i) of the Act, the brief shall clearly point out the claims that have not been sufficiently disclosed in, supported by, or enabled in, the specification with an explanation of the insufficiency for each of the claims.
 - (vi) If invalidity is pleaded based on any of the other grounds provided in the Act, the brief shall specify the provision and the grounds for the same in a simple manner.
 - (vii) If any of the grounds of invalidity have been dealt with by the Office of Controller General of Patents, Designs and Trade Marks (IPO), the same shall be referenced against the respective ground.

e. **‘Infringement brief’**

Brief to be filed by the Plaintiff, along with the claim construction brief, that compares the elements of each of the claims, and the manner in which the Defendant’s product/process infringes the claims relied upon. In the case of Standard Essential Patents (SEPs), the infringement brief shall contain claim charts, mapping the patent claims to the standards, and the manner in which the Defendant infringes the same.

f. **‘Non-infringement brief’**

Brief to be filed by the party claiming non-infringement comparing the suit patent claims with its product/process to show non-infringement. In cases where the Defendant raises the *Gillette* defence,¹ as also in the case of SEPs, the Defendant shall disclose whether its products comply with the standard or the alternate technology/patent being implemented by it. The said party is also free to furnish its own Claim construction brief or claim mapping, if it so chooses, to support the plea of non-infringement.

g. **‘Damages brief/Accounts of profits brief’**

A brief to be filed by a party seeking damages/account of profits giving reasonable estimate of the extent of damages or account of profits claimed and the foundational facts/account statements in respect thereof along with any evidence, documentary and/or oral led by the party to support such a claim.

Provided that, such a brief may be amended upon disclosure of further facts by a Defendant.

h. **‘Advisors’** shall mean the panel of advisors maintained by the Court under Rule 13 of these Rules and as notified on the Delhi High Court website from time to time.

i. **‘Technical primer’** shall mean a document either in text form or electronic form (including PowerPoint presentation(s)/audio/video files) which gives an introduction to the basic science and/or technology covering the patent(s), preferably in simplified language.

j. **‘Priority patent application’** shall mean a parent application, a Convention² application or a Patent Cooperation Treaty application from which the suit patent claims priority.

3. **Content of Pleadings**

A. **Plaint**

The Plaint in an infringement action shall, to the extent possible, include the following aspects:

- (i) Brief background of the technology, technical details, description of the suit patent(s) and the invention covered by the suit patent, description of the Plaintiff’s product or process, if any;
- (ii) Ownership details of the patent(s), the details of the patent(s) granted in India including the date of the application;
- (iii) Any other patent applications filed, withdrawn or pending including divisional applications related to, or emanating from, the suit patent or the priority patent application in India;
- (iv) Brief summary of international corresponding applications/patent(s) and grant thereof including details of worldwide protection for the invention;
- (v) Brief prosecution history of the suit patent(s);

¹ A defence to infringement claim(s) whereby the defendant is able to prove that the act complained of is merely that which was disclosed in a publication and which could be relied on against the validity of the patent, without any substantial or patentable variation having been made. See *“Infringement not novel” (Gillette Defence)* in *Terrell on the Law of Patents (16th edn., § 8-75 at p. 340)*. Also, see *Gillette Safety Razor Co. v. Anglo-American Trading Co.* (1913) 30 R.P.C. 465 at 480.

² Application filed under the Paris Convention for the Protection of Industrial Property (1883).

- (vi) Details of any challenge to the suit patent(s) and outcome thereof;
- (vii) Details of orders, if any, passed by any Indian or international court or tribunal, upholding or rejecting the validity of the suit patent or a patent which is for the same or substantially the same invention;
- (viii) Information as to whether the patent(s) is being enforced for the first time in India;
- (ix) Precise claims versus product (or process) chart mapping or in the case of SEPs, claim chart mapping through standards;
- (x) Infringement analysis explained with reference to the granted claims in the specification. Details of the allegedly infringing product or process, the manner in which infringement is being alleged including, if available, a description of the defendant's process;
- (xi) Details of licenses granted *qua* the suit patent or the Plaintiffs relevant portfolio, to the extent feasible;
- (xii) Summary of the relevant correspondence entered into between the parties relating to the suit patent(s) or relevant portfolio;
- (xiii) Preliminary list of experts, if any;
- (xiv) Details of sales by Patentee and/or statement of royalties received *qua* the suit patent(s) or the portfolio, wherever feasible and if relied upon by Plaintiff;
- (xv) The remedy/relief which the Plaintiff seeks and quantification of damages (could be based on estimated loss whether due to lost profits and/or royalties incurred by the Plaintiff), interest and costs.

B. Written Statement

The Written Statement in an infringement action shall, to the extent possible, include the following aspects:

- (i) Defences of non-infringement and/or grounds for invalidity of the suit patent, if any, shall be pleaded. In addition, if revocation of the suit patent is being sought, a separate counter-claim shall be filed;
- (ii) To support non-infringement, the written statement shall contain a response to the Plaintiff's claim chart as also a technical analysis. It may be accompanied by a technical report;
- (iii) Other defences for non-grant of injunction and damages shall be raised in the written statement;
- (iv) Details of any challenge to the suit patent either at the stage of pre-grant opposition/post-grant opposition or by way of revocation;
- (v) If the Defendant is willing to take a license, the quantum of royalty shall also be specified. This shall be without prejudice to the Defendant's stand on issues of non-infringement and invalidity;
- (vi) If the Defendant raises a case of non-infringement, the products/process/technology being used by the Defendant would also be specified. Onus of proving infringement would, however, be in terms of Section 104A of the Act;
- (vii) The written statement may also contain details and the exact description of the allegedly infringing products and details of manufacture, sale, import, export, in terms of quantity as well as revenue of the allegedly infringing products or products made from the allegedly infringing process;
- (viii) Details of any relevant correspondence relating to the suit patent or relevant portfolio;

- (ix) Details of any steps taken for seeking regulatory approval and the status thereof, in respect of the product *qua* which infringement is alleged;
- (x) Details of any patent applications filed in India or internationally, by the Defendant, its group companies, affiliates, relating to the allegedly infringing product/process;
- (xi) Details of any licenses and cross licenses entered into by the Defendant, its group companies, affiliates etc. relevant to the allegedly infringing product including royalties paid or received.

C. Counter Claim

The Counter-claim shall be precise as to the grounds that are raised under Section 64 of the Act. The grounds as to lack of novelty or inventive step shall be supported by relevant prior art documents. The said documents would be listed in the counter-claim and the specific extracts relied upon shall be referenced. All the prior arts and literature shall be attached to the counter-claim. The prior art documents have to be precise and the counter-claim shall contain a chart as to which specific claims are hit by which prior art or combinations thereof.

If a counter-claim is filed seeking reliefs on the ground of non-infringement, then the requirements for a Suit under Section 105 of the Act shall be followed.

D. Replication

The Replication to be filed shall briefly summarise the Plaintiff's case and the Defendant's case. Thereafter, it shall give a para-wise reply to the written statement. If any of the prior arts cited by the Defendant to allege invalidity of the suit patent have been considered during the prosecution of the patent, or during opposition proceedings, details thereof shall be provided in the Replication.

- E. Written statement to the Counter-claim and Replication in the Counter-claim shall follow a similar pattern as per Clause B or Clause C above, as may be applicable.
- F. In a suit under Section 105 of the Act seeking declaration of non-infringement, the Plaintiff shall specify the scope of the claims, the product/process being implemented by the Defendant claimed to be non-infringing and the technical/legal basis on which declaration is being sought. In such a case, a claim construction brief and a non-infringement brief shall accompany the suit along with a technical report. The Plaintiff shall also provide details of any proceeding(s) filed by the patentee against the Plaintiff in respect of the same, or substantially the same, invention.
- G. In a suit under Section 106 of the Act for injunction against groundless threats, the Plaintiff shall contain the following:
 - (i) Nature of the threat, whether oral or documentary;
 - (ii) If the threat concerns a patent which has been granted and if its validity is being challenged, an invalidity brief to accompany the Plaintiff;
 - (iii) Any correspondence exchanged between the parties.
- H. Original petitions under Section 64 of the Act seeking revocation of patents shall follow a similar pattern as a counter-claim seeking revocation with modifications *mutatis mutandis*.

4. Documents to be filed

A. Documents to be filed along with the Plaintiff

The documents to be filed with the plaintiff shall, to the extent possible, include, *inter alia*:

- (i) certified copies of the certificate of grant of patent along with payment of annuities thereof. If certified copies are not readily available, an undertaking to furnish the same prior to the First Case Management hearing shall be filed with the Plaintiff;

- (ii) Complete patent specification including title and description of invention, claims, the abstract and drawings as granted;
- (iii) a list of all corresponding patent applications/patents in major jurisdictions such as the EU, US, UK, Japan, Canada, if any, along with their current status in a tabulated form. A standard template for the said table is given below. If a decision has been given by any patent authority/court in another jurisdiction, a link to the same can be provided in the same table:

Indian Patent Application No.	Corresponding PCT application	Priority date	Date of filing of provisional specification	Date of filing of final specification in major jurisdictions			
				S. No.	Country	Patent Application/Grant No.	Status (Pending/ Opposed/granted/ rejected (if opposed, name of opponent))

- (iv) Details of related patent applications/patents to the suit patent, including divisional applications, patents of addition, if any, in India shall be furnished in a tabulated form along with their current status;
- (v) A summary of the patented invention and infringement alleged shall be annexed either as a note or as a PowerPoint presentation printed with two slides per page;
- (vi) Expert report, if any, relied upon by the Plaintiff for infringement analysis;
- (vii) Copies of all relevant correspondence;
- (viii) In case of license agreements being relied upon, copies of the license agreements redacted or otherwise;
- (ix) Note on justification for license fee, if claimed;
- (x) Laboratory analysis reports, if any.

B. Documents to be filed along with the Written Statement/Counter-Claim

The documents filed with the Written Statement/Counter-Claim shall, to the extent possible, include, *inter alia*:

- (i) Copies of any decisions of a Court or any patent authority relating to the suit patent or a corresponding patent application in any jurisdiction;
- (ii) Expert report/technical report relied upon;
- (iii) Analysis for non-infringement or invalidity;
- (iv) In case of a process patent, the analysis relating to invalidity shall include the prior art references that are relied upon for lack of novelty or inventive step;
- (v) Any licenses obtained and copies thereof redacted or otherwise;
- (vi) Clear copies of the prior art documents relied upon. If the same are commentaries or technical journal or books, the cover page showing the author, title, year of publication and the relevant extract be filed. In case of internet print-outs of prior art documents, the specific link from where the document is downloaded be mentioned on the cover page, if the same is not appearing in the footer of the document along with the date of printout;
- (vii) In case of pharmaceutical patents, the specific formula/molecule/composition in the prior art documents which seeks to defeat the novelty or inventive step of the suit patent be highlighted;

- (viii) Laboratory analysis reports, if any;
- (ix) Statement of accounts of quantum and sales of allegedly infringing product(s) or the product(s) obtained from the allegedly infringing process;
- (x) Documents relied upon for each of the grounds under Section 64 of the Act, as required.

C. Any other documents to be filed by either party

- (i) Any other Documents in the possession of the parties and material to the issue of infringement shall be filed;
- (ii) Details of licensees, royalty, FRAND pricing (under sealed cover) may be filed.

5. First hearing of the suit

- (i) At the first hearing, the patentee may seek an interim injunction as also appointment of a Local Commissioner for inspection, etc.. If appointment of a Local Commissioner is being prayed for, the specific premises where the product is being manufactured or the process is being implemented, be ascertained and mentioned in the application.
- (ii) In addition to any interim orders that the Court may pass at the first hearing, inspection of the manufacturing facilities may also be directed.
- (iii) In order to assist the Local Commissioner, technical experts from both sides may be permitted to be present at the time of execution of the commission. The Local Commissioner shall address any issues of confidentiality, if raised by either party, at the time of execution of the commission by filing the said confidential information before the Court in a sealed cover for further orders.
- (iv) If the Defendant is on caveat, upon receiving notice of two working days, the Defendant shall be ready with any documents it wishes to rely upon to oppose the grant of any interim relief, on the first hearing.
- (v) Upon infringement being *prima facie* established, the court may pass directions for monetary payments instead of an injunction, in exceptional situations, and on such terms and conditions as the Court may deem fit.
- (vi) In case of grant of an interim injunction, the Court may direct the Plaintiff to give a cross undertaking of costs or security, in case it loses at trial or if the patent is held to be invalid, on such terms as it deems fit.

6. Memo of Parties/Service of Defendant

The name of the main Defendant against whom relief is sought shall be impleaded as Defendant No. 1 in the Memo of Parties. Where *ex-parte* relief is sought, service to the Defendants is not mandatory. However, if the Plaintiff chooses so, advance service of two working days, by email, would be considered as adequate service for the first hearing, especially for Defendants located in India. If the Defendant has filed a caveat, service by email should be made at least two working days, at the address available on the caveat, before the first listing of the case.

7. Filing of affidavits of admission/denial and other briefs

- (i) In patent infringement suits, certified copies of extracts from the patent register, grant certificates, granted patent specification along with abstracts and drawings, and publicly available cited prior art documents, shall not be usually denied.
- (ii) Affidavits of admission/denial shall accompany the respective pleadings of the parties as provided for in the Commercial Courts Act, 2015.
- (iii) Affidavits of admission/denial shall be filed in respect of correspondence exchanged between the parties and other documents.

- (iv) Any person who unjustifiably denies any documents, shall be liable to be burdened with costs.
- (v) Upon admission/denial being completed, prior to the First Case Management Hearing, both parties shall file their respective claim construction briefs, invalidity briefs and infringement briefs. The said briefs shall usually not exceed 10 pages each and would contain a brief description of the construction of claims, the case on invalidity and infringement of the patent. If there are multiple patents involved in a suit, or for other justifiable reasons, then leave of Court shall be sought for filing longer briefs. Leave to amend the said construction, invalidity and infringement briefs may be sought for substantial cause prior to commencement of evidence.
- (vi) Upon completion of pleadings, prior to the First Case Management Hearing, the Plaintiff may also file the Damages/Accounts of Profit brief.
- (vii) The claim construction brief, invalidity brief, infringement brief, non-infringement brief, etc. filed by parties shall not be construed as pleadings. The contents of these briefs shall also not be beyond the pleadings. Filing of non-infringement brief shall not shift the onus as prescribed in the Act.
- (viii) Technical Primer: Prior to the First Case Management Hearing, the court may direct filing of a technical primer jointly by the parties to understand the basic science/technology covering the patent(s).

8. First Case Management Hearing

- (i) The Court would peruse the pleadings, the claim construction briefs, invalidity, infringement, and damages/accounts of profit briefs, and strike the actual issues where there exists a dispute between the parties. For the purposes of settlement of issues, the Court may also seek the assistance of an independent technical expert from amongst the panel of Advisors maintained by the Court or call experts of the parties to assist the court. Hot-tubbing may be resorted to by the Court even before striking of issues.

Provided that the Court may decide any issue, which does not require evidence, at any stage.

- (ii) The Court shall then direct parties to file their list of witnesses including the names of the expert witnesses whose evidence is to be adduced.
- (iii) The Court shall also direct the filing of affidavits in evidence by the parties, and in which order. The Court may, depending on the facts, direct the order in which the trial is to be conducted i.e. trial of infringement or invalidity of the patent first, as it deems fit.
- (iv) The Court may direct leading of evidence on any one or more of the issues, as a preliminary issue to expedite the decision in the suit.

9. Second Case Management Hearing

- (i) The Court shall peruse the affidavits in evidence filed by the parties and shall fix the time, venue and duration for the cross-examination of the witnesses. On the Court's own motion or on application of a party or a witness, evidence may be directed to be recorded through video conferencing, as per the applicable Rules.
- (ii) If parties are willing to engage agencies for transcription of evidence, appropriate directions *qua* the same may also be passed. Video recording of evidence may also be directed. The timelines for recording of evidence may be monitored by the Court. In case of outstation witnesses, the Court shall endeavour to fix specific time limits for cross examination.
- (iii) Hot-tubbing: Expert testimony may be directed by the Court on its own motion or on the application by a party, to be recorded by Hot Tubbing technique guided by Rule 6, Chapter XI, Delhi High Court (Original Side) Rules, 2018.

- (iv) Recording of evidence may be directed in outstation venues with the consent of parties or if the Court deems fit. For such recording of evidence, electronic records of the suit may be made available to the parties.
- (v) Recording of evidence by a Local Commissioner may be directed to expedite the trial.

10. **Third Case Management Hearing**

In this hearing, the Court shall review the evidence recorded so far and may proceed to decide any preliminary issues, or alternatively direct the parties to proceed to trial on the remaining issues. All directions, as can be passed in the Second Case Management Hearing, may also be passed by the Court.

11. **Confidentiality clubs and redaction of confidential information**

- (i) At any stage in a proceeding, the Court may constitute a confidentiality club or adopt such measures as appropriate, consisting of lawyers (external & in-house), experts as also nominated representatives of the parties, for the preservation and exchange of confidential information filed before the Court including documents, as per the Delhi High Court (Original Side) Rules, 2018.

Such nominated representatives of the parties, appointed to the Club, may *inter alia*, be persons who are not in charge of, or active in, the day-to-day business operations and management of the respective parties so as to maintain the integrity of the information so disclosed.

The members so constituting the Club shall be bound to desist from disclosing, sharing or utilizing, including to third parties, the confidential or sensitive information that they may access, or become privy to, in the course of proceedings;

- (ii) The Court may, upon a request made by way of an application, direct the redaction of such information (including documents) it deems to be confidential;
- (iii) If any redacted pleading/document is sought to be filed as being confidential, a non-redacted version of the same may be filed in a sealed cover along with an application supporting such claim for redaction.

12. **Mediation/Early Neutral Evaluation (ENE)**

At any stage in the suit, if the Court is of the opinion that the parties ought to explore mediation, the Court may appoint a qualified mediator or panel of mediators including, technical experts to explore amicable resolution of the dispute. Consent of the parties is not required, once the court is of the opinion that an amicable resolution needs to be explored. Further the mediator appointed by the court could be a scientific expert, economic expert or a legal expert, assisted by technical experts. At any stage the court may also direct ENE by appointing a qualified and independent evaluator, if it is of the opinion that such ENE would assist in early resolution. Mediation/ENE proceedings may proceed concurrently with the legal proceedings before the Court, so as not to delay adjudication.

13. **Panel of Advisors**

The Delhi High Court shall draw up a panel of Advisors, for assisting Judges in deciding patent suits. Such advisors may include experts in the sciences, economists, academicians, accountancy experts, legal experts, qualified patent agents with subject expertise, officers of the IPOs, etc. The list shall be reviewed periodically. Prior to their appointment, a declaration shall be signed by the advisor that he/she has no conflict of interest with the suit/proceedings, and would assist the Court fairly and impartially. While appointing advisors to assist the Court, the Court may take suggestions from the parties. The compensation to be paid to the experts shall be commensurate to the experts' qualification, experience, standing and expertise on the subject.

It is clarified that such Panel shall be distinct from the panel of experts constituted under the Delhi High Court Intellectual Property Rights Division Rules, 2022.

14. Preservation of evidence

Any audio or video recordings of the evidence recorded shall be preserved in the electronic record of the case, in a manner so as to ensure that the same is not editable or cannot be tampered with in any manner.

15. Final hearing

Prior to the final hearing, the court shall direct parties to present a summary of pleadings and evidence along with the specific page numbers of the files. The Court can direct the presence of at least one technical person from among the witnesses from each side, to assist the Court during the final hearing. The Court may fix time limits for oral submissions to be made.

16. Summary Adjudication in Patent cases

In addition to the provisions contained in the Commercial Courts Act, 2015 for Summary judgment, summary adjudication maybe considered by the Court in cases falling in any of the following categories:

- (i) Where the remaining term of the patent is 5 years or less;
- (ii) A certificate of validity of the said patent has already been issued or upheld by the erstwhile Intellectual Property Appellate Board, any High Court or the Supreme Court;
- (iii) If the Defendant is a repeated infringer of the same or related Patent;
- (iv) If the validity of the Patent is admitted and only infringement is denied.

17. General Clause

Procedures and definitions not specifically provided for in these Rules shall, in general, be governed by The Civil Procedure Code, 1908 as amended by The Commercial Courts Act, 2015 and the Delhi High Court (Original Side) Rules, 2018, as also the Delhi High Court Intellectual Property Rights Division Rules, 2022, to the extent they are not inconsistent with the present Rules.

By Order of the Court,
MANOJ JAIN, Registrar General